कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

पत्रांक 2428 /का0ब0वि0प्रा0/2020 दिनांक 24.8.2020

आदेश

श्री तरूण जगोता पुत्र श्री आर0पी0 जगोता
डायरेक्टर मैसर्स के0टी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0
निर्माण स्थल– खेत संख्या–552 (एम) ग्राम इटौआ सुखदेवपुर व खेत संख्या–270 (एम) करगैना, बरेली

आप द्वारा प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या–217/02/जी0एच0/12 के विरूद्ध किये गये निर्माण को शमन कराने हेतु प्रशमन मानचित्र प्रस्तुत किए गये। प्रस्तुत प्रशमन मानचित्र पर भवन सैल की गणनानुसार प्रश्मन एवं अन्य मदों में आगणित धनराशि रूपये–79,08,530/– पर उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन दिनांक 26–05–2020 के क्रम में आप द्वारा प्रशमन धनराशि रू0–20,00,000/– प्राधिकरण कोष में जमा कराते हुए शेष धनराशि रूपये–59,08,530/– को 04 त्रैमासिक किश्तों में जमा कराये जाने हेतु उपाध्यक्ष महोदया द्वारा दिनांक 10–08–2020 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। किश्तों का विवरण निम्नवत है :–
दिनांक 31–07–2020 तक कुल देय धनराशि रूपये–61,23,026/–

क्रं0सं0	मूल धनराशि	ब्याज 15 प्रतिशत	कुल देय	देय तिथि
1	16,00,000.00	2,29,615.00	18,29,615.00	01.11.2020
2	16,00,000.00	1,69,615.00	17,69,615.00	01.02.2021
3	16,00,000.00	1,09,615.00	17,09,615.00	01.05.2021
4	13,23,026.00	49,615.00	13,72,641.00	01.08.2021

तदक्रम में शमन मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा निम्न शर्तो के तहत प्रदान की गयी है।

शर्ते :–

1. सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र के समय निम्न अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
2. अग्नि शमन विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण विभाग एवं विद्युत सुरक्षा विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कराने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।
3. निर्मित भवन के प्रत्येक तल का प्रयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिस हेतु प्रस्तावित शमन मानचित्र पर अनुज्ञा प्रदान की गयी है।
4. प्रदत्त अनुज्ञा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अधीन रहेगी एवॅ पक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। भवन की संरचना सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
5. मानचित्रों में एरिया चार्ट में दर्शित क्षेत्रफल एंव गणनाओं में अन्तर पाये जाने की दशा में दोनों में न्यूनतम क्षेत्रफल/माप ही स्वीकृत मानी जायेगी। बेसमेन्ट फीलिंग के उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा।
6. प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार भू–स्वामित्व निर्धारण का अधिकार प्राधिकरण का नही है अर्थात प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने का अभिप्राय भू–स्वामित्व का निर्धारण करना नही है। अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत मानचित्र के अन्तर्गत दर्शित सम्पूर्ण भूमि अथवा उसके आंशिक भाग पर भूॅ–स्वामित्व सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा तथा सक्षम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होगा।
7. जल–मल निस्तारण की समुचित व्यवस्था कराने का समस्त उत्तरदायित्व स्वंय आवेदक का होगा।

8. प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति यदि प्रार्थी द्वारा सारवान व्ययदेशन (मिसरिप्रजेन्टेशन) या किसी कपट पूर्ण वक्तव्य या सूचना के आधार पर प्राप्त की हैं तो यह अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा इस अनुज्ञा के आधार पर किया गया कोई भी कार्य ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया समझाा जायेगा अर्थात अबैध होगा।
9. प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार स्थल के सीमांकन सहित भू–स्वामित्व के संबंध में समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
10. शुल्कों के मद में त्रुटिवश कोई शुल्क अथवा उसका अंश भाग उपरोक्त शुल्क गणना में छूट गया है, तो वह प्राधिकरण को जानकारी होने पर प्राधिकरण की मॉग पर आवेदक को जमा करना होगा।
11. प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अशमनीय भाग को मानचित्र निर्गत के उपरान्त स्वयं एक माह के अन्दर ध्वस्त कर प्राधिकरण को सूचित करना होगा, ध्वस्तीकरण के समय एवं ध्वस्तीकरण उपरान्त संरचना सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं को होगा। ध्वस्तीकरण आवेदक द्वारा स्वयं न किये जाने की दशा में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, जिसका खर्च आवेदक को वहन करना होगा।
12. किश्तों की धनराशि नियत तिथि पर जमा करानी अनिवार्य होगी और इसकी वसूली उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–40 के तहत भू–राजस्व के बकाये की भॉति वसूली की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायीं होंगे।
13. पूर्व स्वीकृत मानचित्र की शर्ते यथावत् रहेगी।
14. यदि आवेदक द्वारा किसी भी शर्त का उल्लघंन किया जाता है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के क्रम में वांछित शर्तें :–

1. भवन निर्माण द्वारा सड़क के किनारों पर निर्माण सामग्री या मलवा स्टोर नहीं किया जायेगा/डाला नहीं जायेगा।
2. भवन निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण सामग्री को पूर्णतया तिरपाल आदि से कवर्ड किया जायेगा।
3. भवन निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी किसी गतिविधि जैसे– निर्माण अथवा निर्माण सामग्री के स्टोरेज के कारण किसी प्रकार का वायु प्रदूषण न उत्पन्न हो।
4. उक्त नियम के उल्लघंन की स्थिति में भवन निर्माता को हरित न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार अर्थदण्ड देना होगा।
5. निर्माण सामग्री जैसे–सीमेन्ट, बालू या इसी प्रकार की अन्य सामग्री ढोने वाले ट्रक या इस्तेमाल होने वाले अन्य वाहन को पूर्णतया कवर्ड होना चाहिए।
6. भवन निर्माता द्वारा ऐसे नियम व शर्तों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी, जिससे हरित न्यायाधिकरण और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित नियमों का पालन हो सके।
7. प्रत्येक भवन निर्माता को निर्माण स्थल को पूर्णतया तिरपाल आदि से कवर्ड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी प्राकर की निर्माण सामग्री किसी सड़क/मार्ग पर न हो।
8. निर्माण सामग्री या इसी प्रकार की अन्य सामग्री ढोने वाले ट्रक या इस्तेमाल होंने वाले अन्य वाहन को पूर्णतया कवर्ड और सुरक्षित होना चाहिए।
9. निर्माण स्थलों पर होंने वाले धूल उत्सर्जन को पूर्णतया नियन्त्रित करने हेतु पूर्व सावधानियॉ बरती जाये।
10. निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों की अनलोडिंग के उपरान्त पूर्ण सफाई सुनिश्चित की जाये, तत्पश्चात उन्हें सड़क पर जाने की अनुमति दी जाये।

11. निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों को मास्क प्रदान किए जाये जोकि निर्माण सामग्री को ढोते है, जिससे उनके सांस में धूल के कण आदि न जायें।
12. प्रत्येक निर्माणकर्ता अथवा मालिक निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों को चिकित्सीय सहायता, जॉच और इलाज की व्यवस्था करेगा।
13. प्रत्येक भवन निर्माता को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण सामग्री अथवा मलवा आदि को निर्माण स्थल पर अथवा डम्पिंग साइट या किसी अन्य स्थान पर नियम–शर्तो के अनुसार ले जाना होगा।
14. पत्थर तोड़ने अथवा घिसने के स्थान पर अनिवार्य रूप से पानी छिड़काव कराना होगा।
15. निर्माण स्थल के चारों ओर वायु अवरोधक दीवार बनायी जानी होगी।
16. उपरोक्त निर्माण कार्यों से सम्बंधित आदेशों की अवहेलना की स्थिति में प्रत्येक दोषी भवन निर्माता को रूपये–50,000/– का जुर्माना देना होगा और निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन के दोषी के लिए रूपये–5,000/– का जुर्माना देय होगा।
17. उपरोक्त शर्ते, निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट/मलवा, सामुदायिक स्थलों पर डम्प करने अथवा नदीं में प्रवाहित करने पर भी लागू होगा।
18. सामाजिक स्थलों पर निर्माण सामग्री स्टोर करने पर, सामग्री सीज करने के साथ–साथ रूपये–50,000/– का पर्यावरण अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
19. हरित न्यायाधिकण के अधिनियम 2010 की धारा–15 के अन्तर्गत उपरोक्त किसी भी प्रकार की घटना के लिए सम्बंधित के विरूद्ध रूपये–5,000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।
20. उपरोक्त घटना के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी सम्बंधित के विरूद्ध इस बाबत नोटिस जारी करेगा, जिसमें न्यायाधिकरण के सम्मुख उपस्थित होकर जुर्माना देना होगा।
21. कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिमोलेशन रूल्स का अनुपालन करना होगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना 25 जनवरी, 2016 नई दिल्ली के अनुपालन हेतु शर्ते :–

निर्माणकर्ता द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना 25 जनवरी, 2016 नई दिल्ली में उल्लेखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 1000 वर्गफिट से अधिक निर्मित क्षेत्रफल के निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण, इन्डस्ट्रीयल इस्टेट/पार्क/स्पेशल इकोनोमिक जोन (SEZ) के अन्तर्गत निर्माण कार्यो में फ्लाई ऐश एवं फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

सचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

प्रतिलिपि तद्दिनांक

1. जोन प्रभारी प्रवर्तन अनुभाग को सूचनार्थ।

सचिव
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।